राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/1290

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-118 L.R. Act	217/24 217/24	20/06/24	A/C 20/8/24	27/06/24 8/8/24 20/8/24

अनवान

श्री सुगन किशोर जाटव / प्रफुल्ल श्री दिलीप कुमार लसोड़ कर्म/ कर्मचारी

निवासी रसदपुरा निवासी कांस्या

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेंट

~~डिक्रीदार~~ ~~मदयून~~

श्री निर्मल कुमार जोशी एड. श्री ~~नरेन्द्र सिंह~~ एड.

सुनील जोशी (2)

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

युगल किशोर बनाम दिलीप कुमार वगै०

किस्म मुकदमा धारा 111-128 L.R. Act नम्बर 217 सन **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/06/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 27/06/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
27/6/24	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 1/7/24 को वास्ते तामील पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	अधिकार (2) पत्र (सुनील जोशी) वकालतनामा पेश
1/7/24	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी (2) की तरफ से अधि. सुनील जोशी ने अधिकार पत्र पेश किया। पत्रावली वास्ते जवाब 8/8/24 को पेश हो।	
8/8/24	पत्रावली पेश हुई। समस्त विपक्षीगण की बाद तामील पूर्व में शामिल पत्रावली की जा चुकी है। विपक्षी (1, 3, 4) बाद स्वयं अनुपस्थित। विपक्षीगण को 3-बार आवाज लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षी (1,3,4) के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में विपक्षी (2) की तरफ से अधि. सुनील जोशी ने जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस (जवाब प्रार्थना पत्र) आगामी दिनांक 20/8/24 को पेश हो।	

२०।८।२४	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में बहस सुनी गई। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली में तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 217/24 तारीख दायर 20/6/24

युगलकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

.......................प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति लसौड़ (जैन) उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौजियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बाबुलाल पुत्र गणेशलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कैलाश चन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

...............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 20/8/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री** निर्मल जोशी **एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खातेदारी भूमि है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम** किशनपुरिया **पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 119 पर अंकित आराजी संख्या 337/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 217/24 तारीख दायर 20/6/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 217 / 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

युगलकिशोर पुत्र प्रभुलाल जाति जाटव उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. दिलीप कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति लसौड़ (जैन) उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौजियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. बाबुलाल पुत्र गणेशलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कैलाश चन्द्र पुत्र रामलाल जाति मेहर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. सीताराम पुत्र नन्दा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी कास्यां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम** किशनपुरिया **पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 119 पर अंकित आराजी संख्या 337/65 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां **कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी मौके पर अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ